बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0
"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2 पटना 800001

पत्रांकः- 12/01/06/81/2018/ 7823 दिनांक- 27/7/19

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक आधुनिकीकरण,
राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः खाद्यान्नों का परिवहन एवं वितरण क्रियाशील जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहन से कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में राज्य को आवंटित खाद्यान्न का परिवहन एवं वितरण क्रियाशील जी0पी0एस0 लोडसेल युक्त वाहन से कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उक्त के आलोक में परिवहन अभिकर्त्ता/ डोर स्टेप संवेदक के द्वारा राज्य खाद्य निगम के द्वारा एकरारनामा किया गया है। कतिपय जिलों से यह मामला प्रकाश में आया है कि अक्रियाशील GPS/Load Shell वाहनों से खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराया जा रहा है, जो राज्य खाद्य निगम से किये गये एकरारनामा के विपरीत है। इस बिन्दु पर निगम मुख्यालय द्वारा कठोर कार्रवाई (स्पष्टीकरण एवं आर्थिक दण्ड अधिरोपण) के उपरांत भी परिवहन अभिकर्त्ता/डोर स्टेप संवेदक के द्वारा बताया जा रहा है कि Network या GPS/Load Shell में Technical fault के कारण ऐसी घटना हो रही है। अगर जी0पी0एस0/लोडसेल में किसी प्रकार का कोई Technical fault पाया जाता है तो तत्काल Service Provider से उक्त GPS/Load Shell का Technical fault को अविलम्ब दूर कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त वाहन से खाद्यान्न का परिवहन एवं वितरण कराया जाए। अक्रियाशील GPS/Load Shell युक्त वाहन का उपयोग खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु जिलान्तर्गत सभी मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता/डोर स्टेप संवेदक को अवगत करा दिया जाए। इसमे कोताही शिथिलता किसी स्तर पर स्वीकार नहीं है।

विश्वासभाजन

27.7.19

उपमहाप्रबंधक (आधुनिकीकरण)

ज्ञापांकः- 7823 दिनांकः- 27/7/19

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

27-7-19

उपमहाप्रबंधक (आधुनिकीकरण)